उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या–32/2023–24

सरकार

बनाम्

मृत्युंजय झा

–: आदेश :–

दिनांक 5/9/23

सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

मामला पथरगामा थाना काण्ड संख्या–54/2023 दिनांक –17.03.2023 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक–2388/अप0शा0 दिनांक–24.05.2023 से धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 तथा 30(ii)कोल माईन्स एक्ट के तहत कांड में जप्त 1. स्वराज ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नंबर–MBNAK48ACNTM41161, इंजन नंबर–CJ1354SEM25466), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085) तथा उस पर लदे बालू/कोयला को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. स्वराज ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नंबर–MBNAK48ACNTM41161, इंजन नंबर–CJ1354SEM25466), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085), के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से बालू/कोयला की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या–02 में इस कांड को धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 तथा 30(ii)कोल माईन्स एक्ट के तहत

प्राथमिकी अभियुक्त 1. स्वराज ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नंबर–MBNAK48ACNTM41161, इंजन नंबर–CJ1354SEM25466), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085), के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त 1. स्वराज ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नंबर–MBNAK48ACNTM41161, इंजन नंबर –CJ1354SEM25466), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, के मालिक मृत्युंजय झा, पिता–परमरतन झा, सा0–बेलदा, पो0–तासरिया, थाना–मसलिया, जिला –दुमका एवं 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085), के मालिक बंमशंकर भगत, पिता–कपिल देव भगत, सा0–चैनपुर, पो0–मालरामपुर, थाना–पथरगामा, जिला–गोड्डा के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में जप्त 1. स्वराज ट्रैक्टर निबंधन संख्या अंकित नहीं, (चेचिस नंबर–MBNAK48ACNTM41161, इंजन नंबर–CJ1354SEM25466), टेलर निबंधन संख्या अंकित नहीं, 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085) एवं उस पर लदे बालू/कोयला के विरूद्ध धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 तथा 30(ii)कोल माईन्स एक्ट के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए विपक्षीगण को नोटिश निर्गत किया गया। विपक्षी मृत्युंजय झा की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी मृत्युंजय झा का कथन है कि वर्तमान राजसात का मामला विपक्षी के विरूद्ध चलने योग्य नहीं है। विपक्षी जप्त हीरो ग्लेमर मोटर साईकिल निबंधन सं0–JH04K-3553, चेचिस नंबर–MBLJA06AMG9D003868, ईंजन नंबर–JA06EJG9D04085, के मालिक है। उपरोक्त ग्लेमर मोटर साईकिल की चोरी के मामले में विपक्षी मृत्युंजय झा ने गोड्डा नगर थाना काण्ड संख्या–0026 दिनांक–25.01.2023 प्राथमिकी दर्ज किया है। उनका आगे कथन है कि जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के सूचना पर पथरगामा थाना द्वारा उक्त मोटरसाईकिल को बरामद कर लिया गया है। विपक्षी Mount Assisi School, Poraiyahat के शिक्षक हैं एवं उन्हें उक्त मोटर सांईकिल का आवश्यकता है। विपक्षी बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। उन्होंने जप्त मोटर साईकिल को राजसात से विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है।

सरकारी वकील का कथन है कि कोयला परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध रूप से कोयला प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है एवं जप्त कर पथरगामा थाना में रखा गया है। कोयला परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इसलिए उक्त वाहन को राजसात किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का जप्त 2. जुगाड़ गाड़ी ग्लेमर मोटरसाईकिल नंबर अंकित नहीं (इंजन नंबर–JA06EJG9D04085), के द्वारा कोयला चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। मोटरसाईकिल ईंजन लगा हुआ जुगाड़ गाड़ी पर कोयला लोडकर गोड्डा की ओर जा रहा था। खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में काण्ड में जप्त 2. हीरो ग्लेमर मोटर साईकिल निबंधन सं0–JH04K-3553, चेचिस नंबर–MBLJA06AMG9D003868, ईंजन नंबर–JA06EJG9D04085 एवं उस पर लदे कोयला को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा/जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा/जिला परिवहन पदाधिकारी, गोड्डा/थाना प्रभारी, बोआरीजोर को दें। अन्य विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है। कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए उन्हें अंतिम नोटिश निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–.................... को रखें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।
05/09/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.10.11 12:35:49 +05:30
Location: 192.168.1.38